

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़ (पंचायत शाखा)

— :: आदेश :: —

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या- 689, दिनांक 26/02/2016 एवं अधिसूचना संख्या- 80, दिनांक 28/04/2016 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या- 105, दिनांक 07/06/2016 में निहित निदेश और दिनांक 11/07/2017 को सम्पन्न जिला चयन समिति की बैठक में निर्णय के आलोक में निम्न अभ्यर्थियों को लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर 10,000/- (दस हजार) रुपये मासिक मानदेय पर नीचे अंकित शर्तों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है : -

क्र.	नाम	पिता का नाम	पता
1	श्री ब्रजेश पण्डा	श्री विनय पण्डा	ग्राम+पोस्ट- हेसापोड़ा, थाना- गोला, जिला- रामगढ़
2	ममता कुमारी	स्व0 जलेश्वर महतो	ग्राम- रतवे, पोस्ट- करमा, थाना- माण्डू, जिला- रामगढ़
3	साक्षी कुमारी	श्री मिथलेश कुमार दुबे	नियर शीतला मन्दिर, बामनधारा, भुरकुण्डा, जिला- रामगढ़
4	श्री मुकूल कुमार गुप्ता	श्री मनोहर कुमार गुप्ता	ग्राम+पोस्ट- माण्डू, जिला- रामगढ़
5	श्री संजय कुमार	श्री बिजली महतो	ग्राम+पोस्ट- साण्डी, जिला- रामगढ़
6	श्री शंकर ठाकुर	श्री लक्षमण ठाकुर	मायल बाजार, चितरपुर, रामगढ़
7	श्री तारकेश्वर कुमार सिन्हा	श्री मेघनाथ महतो	ग्राम+पोस्ट- सोसो, थाना- रजरप्पा, जिला- रामगढ़
8	श्री पंचम कुमार वर्मा	श्री रामजीत साव	ग्राम- बमनडीह, पोस्ट- लारी, थाना- रजरप्पा, जिला- रामगढ़
9	श्री चमक लाल महतो	श्री दील्लू महतो	गोबरहप्पा, पोस्ट- हुंडरू, थाना-पिठौरिया, जिला- राँची
10	शोभा मिश्रा	स्व0 मधुसूदन मिश्रा	जिला परिषद् कार्यालय, अनुमण्डल भवन, रामगढ़
11	श्री विजय कुमार रवि	स्व0 कीतिया रविदास	ग्राम+पोस्ट- बड़गाँव, सारुबेड़ा, माण्डू
12	श्री संदीप कुमार	श्री सुरेश राम	ग्राम+पोस्ट- होसिर, थाना- गोमिया, जिला- बोकारो
13	श्री कुलदीप कुमार महतो	श्री अमृत महतो	आरा बस्ती, सारुबेड़ा, माण्डू, रामगढ़
14	श्री सुरेन्द्र कुमार	श्री जगेश्वर यादव	पूण्डी, बड़कागाँव, हजारीबाग
15	निम्मी कुमारी	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	राँची रोड, बीहाइन्ड कुमार एक्सप्लोसिव, रामगढ़
16	श्री उपेन्द्र कुमार	श्री देवनारायण महतो	ग्राम-रोयांग, पोस्ट-रबोध थाना- गिदी, जिला- हजारीबाग
17	श्री सुमित मेहता	श्री सीताराम मेहता	ग्राम+पोस्ट- बैंक रोड, हैदरनगर, पलामू
18	श्री देवशंकर पाण्डेय	श्री रामचन्द्र पाण्डेय	ग्राम+पोस्ट- करमा, प्रखण्ड- माण्डू, जिला- रामगढ़
19	श्री वरुण कुमार सिंह	श्री राजकुमार सिंह	ग्राम+पोस्ट- कोतो, थाना- पतरातु, जिला- रामगढ़
20	नेहा कुमारी	श्री सतीश कुमार सिंह	क्वार्टर नं0- डी./87, रोड नं0- 02 पी.टी.पी.एस., पतरातु, रामगढ़

क्र.	नाम	पिता का नाम	पता
21	श्री ओम नारायण सिंह	श्री नागेन्द्र सिंह	रामगढ़ थाना कैम्पस, क्वार्टर नं0- 19, रामगढ़
22	श्री रंजन कुमार दास	श्री महादेव दास	कनहरी पहाड़ नजदीक कै.भी.के. गली नं0- 7, करकरी, हजारीबाग
23	श्री रंजीत नायक	श्री नकुल नायक	ग्राम+पोस्ट- छत्तरमाण्डू रामगढ़
24	श्री गणेश रविदास	श्री बालेश्वर रविदास	सदर हॉस्पिटल, रामगढ़, नियर एस.पी. रेसीडेन्स, रामगढ़
25	श्री नागेन्द्र कुमार पासवान	श्री शिव कुमार पासवान	ग्राम+पोस्ट- गड़ीखास, थाना- पण्डवा, जिला- पलामु
26	श्री पंकज कुमार रवि	श्री नन्द कुमार राम	ग्राम- तेलियातु, बरकाकाना, पतरातु
27	श्री प्रेम कुमार मुण्डा	श्री अमर लाल मुण्डा	ग्राम- जारा टोला, रामगढ़
28	श्री अमित उरॉव	श्री फुचा उरॉव	ग्राम- पालिका कोयनार टोली, पोस्ट- बोंगलबेड़ा, थाना- अनगड़ा, राँची
29	श्री हरदेव बेदिया	श्री रामजीत बेदिया	घुटूवा बस्ती, एन.टी.एस. बरकाकाना, रामगढ़
30	श्री जयन्त महली	श्री रिञ्जु महली	ग्राम- उपरबरगा, थाना- बरलंगा, जिला- रामगढ़
31	श्री संजय मूनी	श्री अशोक मुनी	क्वार्टर नं0- बी0/28/117, पोस्ट- रजरप्पा प्रोजेक्ट, रामगढ़
32	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	श्री रामप्रसाद गुप्ता	दुर्गा मन्दिर लेन, कोकर, चूना बट्टा, राँची
33	श्री राहूल कुमार	श्री ओम प्रकाश प्रसाद	बंगाली टोला, नियर मंझली काली मन्दिर, रामगढ़
34	प्रियंका कुमारी	श्री बाबूराम महतो	भुचूंगडीह, पोस्ट+थाना- रजरप्पा प्रोजेक्ट, रामगढ़
35	श्री रवि कुमार	श्री बीरेन्द्र प्रसाद	जगनीपुर, पोस्ट+थाना- नगर उटारी, पलामू
36	श्री राजकुमार महतो	श्री सपुतलाल महतो	ग्राम- होहद, पोस्ट- सिकनी, रामगढ़

1. योगदान के समय आवेदकों को निम्न कागजात प्रस्तुत करना होगा :-

- I. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- II. दहेज नहीं लेने/देने से सम्बन्धित शपथ पत्र।
- III. सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- IV. पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- V. आवासीय/जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।

2. योगदान के समय नियुक्त कर्मी इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाणपत्र सही एवं वैध हैं, फर्जी पाये जाने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

3. प्रारम्भिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।


4. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
5. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
7. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जायेगी।
8. आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।
9. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अन्तर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।
11. योगदान के दिन नियुक्त कर्मी को एक अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

निर्देश दिया जाता है कि नियुक्त कर्मी दस दिनों के अन्दर बिन्दु- 02 में वर्णित शपथ पत्र के साथ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति सम्बन्धी दावा अमान्य किया जा सकता है।

ह0/-
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक.....506...../पं0 रामगढ़, दिनांक.....09/09.....2017

प्रतिलिपि : सभी सम्बन्धित आवेदकों को सूचनार्थ एवं आदेश अनुपालन हेतु प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
रामगढ़।